

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय**

मांग संख्या 45

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय**

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैं:

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	220.00	8.30	228.30	180.00	8.68	188.68	245.60	9.00	254.60	
पूंजी	30.00	...	30.00	20.00	...	20.00	44.40	...	44.40	
<b>जोड़</b>	<b>250.00</b>	<b>8.30</b>	<b>258.30</b>	<b>200.00</b>	<b>8.68</b>	<b>208.68</b>	<b>290.00</b>	<b>9.00</b>	<b>299.00</b>	
1 सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	3451	8.10	4.88	12.98	8.10	5.25	13.35	14.00	5.61	19.61
<b>मछली पालन</b>										
2. समुद्री मछली पालन	2405	89.80	...	89.80	14.80	...	14.80	89.80	...	89.80
	3601	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
	3602	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
<b>जोड़</b>	<b>90.00</b>	<b>...</b>	<b>90.00</b>	<b>15.00</b>	<b>...</b>	<b>15.00</b>	<b>90.00</b>	<b>...</b>	<b>90.00</b>	
<b>खाद्य भंडारण और भांडागार</b>										
3. खाद्य भंडारण और भाण्डागारण के अन्य कार्यक्रम										
3.01 चावल मिलों का आधुनिकीकरण	2408	...	0.22	0.22	...	0.22	0.22	...	0.13	0.13
3.02 बागवानी आधारित उद्योग	2408	81.45	2.10	83.55	118.45	2.10	120.55	98.55	2.33	100.88
	4408	27.00	...	27.00	18.00	...	18.00	40.00	...	40.00
	3601	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30
	3602	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15
<b>जोड़</b>	<b>108.90</b>	<b>2.10</b>	<b>111.00</b>	<b>136.90</b>	<b>2.10</b>	<b>139.00</b>	<b>139.00</b>	<b>2.33</b>	<b>141.33</b>	
3.03 दुग्ध आधारित उद्योगों के लिए अनुदान	2408	17.30	...	17.30	19.30	...	19.30	17.30	...	17.30
	3601	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
	3602	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20	0.20	...	0.20
<b>जोड़</b>	<b>18.00</b>	<b>...</b>	<b>18.00</b>	<b>20.00</b>	<b>...</b>	<b>20.00</b>	<b>18.00</b>	<b>...</b>	<b>18.00</b>	
3.04 मांस खाद्य उत्पाद आर्डर	2408	...	1.10	1.10	...	1.11	1.11	...	0.93	0.93
<b>जोड़ - खाद्य भंडारण और भांडागारण के अन्य कार्यक्रम</b>		<b>126.90</b>	<b>3.42</b>	<b>130.32</b>	<b>156.90</b>	<b>3.43</b>	<b>160.33</b>	<b>157.00</b>	<b>3.39</b>	<b>160.39</b>
4. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों हेतु एकमुश्त प्रावधान	2552	22.00	...	22.00	18.00	...	18.00	24.60	...	24.60
	4552	3.00	...	3.00	2.00	...	2.00	4.40	...	4.40
<b>जोड़</b>	<b>25.00</b>	<b>...</b>	<b>25.00</b>	<b>20.00</b>	<b>...</b>	<b>20.00</b>	<b>29.00</b>	<b>...</b>	<b>29.00</b>	
<b>कुल जोड़</b>		<b>250.00</b>	<b>8.30</b>	<b>258.30</b>	<b>200.00</b>	<b>8.68</b>	<b>208.68</b>	<b>290.00</b>	<b>9.00</b>	<b>299.00</b>
<b>ग. आयोजना परिव्यय</b>	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1. सचिवालय आर्थिक सेवाएं	13451	8.10	...	8.10	8.10	...	8.10	14.00	...	14.00
2. मत्स्य पालन	12405	90.00	...	90.00	15.00	...	15.00	90.00	...	90.00
3. खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	12408	126.90	...	126.90	156.90	...	156.90	157.00	...	157.00
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	25.00	...	25.00	20.00	...	20.00	29.00	...	29.00
<b>जोड़</b>		<b>250.00</b>	<b>...</b>	<b>250.00</b>	<b>200.00</b>	<b>...</b>	<b>200.00</b>	<b>290.00</b>	<b>...</b>	<b>290.00</b>

1. यह प्रावधान संस्थाओं के सुदृढीकरण की योजना पर होने वाले व्यय के लिए है। इसमें खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में मानव संसाधन विकास के लिए नए संस्थागत तंत्रों की स्थापना और मौजूदा संस्था के सुदृढीकरण पर ध्यान देना है। इसमें (i) धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावुर, जिसे एक राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा, के सुदृढीकरण, (ii) राज्य नोडल एजसियों के सुदृढीकरण; (iii) सूचना प्रौद्योगिकी के संवर्धन, और (iv) इस मंत्रालय के सचिवालय तथा वाइन बोर्ड एवं मांस व कुक्कट उत्पाद प्रसंस्करण बोर्ड की स्थापना पर होने वाले व्यय को पूरा करने जैसे संघटक शामिल है।

2. यह व्यवस्था मेगा खाद्य पार्कों, पैकेजिंग केंद्र, बूचड़खानों के आधुनिकीकरण, समन्वित शीतागार श्रृंखला सुविधाओं, प्रदीपन सुविधाओं तथा मूल्य वर्धित केंद्रों के

लिए अवसंरचना विकास हेतु अनुदान सहायता और अन्य प्रभारों आदि के रूप में सहायता प्रदान करने के लिए है।

3. यह प्रावधान अनुदान सहायता और अन्य प्रभारों आदि के स्वरूप में सहायता प्रदान करने हेतु राइस मिलिंग सेल की स्थापना पर होने वाले व्यय तथा (i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन स्थापना एवं आधुनिकीकरण की योजना, (ii) स्ट्रीट फूड गुणवत्ता सुधार योजना, (iii) मानव संसाधन विकास स्कीम, (iv) गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानकों, अनुसंधान एवं विकास और अन्य संवर्धनात्मक कार्यक्रमलाप योजना, और (v) कुंडली (हरियाणा) में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबन्ध संस्थान की स्थापना के लिए।

4. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ वाली परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान रखा गया है।

सं.45/खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय